

2/6/19



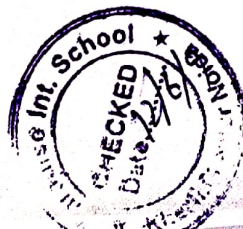
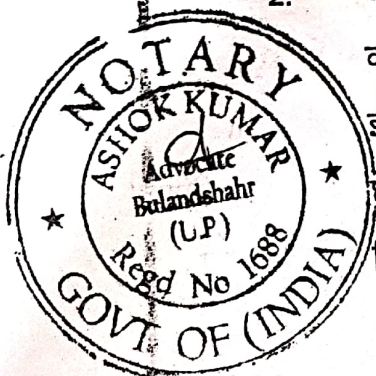
उत्तर प्रदेश-UTTAR PRADESH

समक्ष श्रीमान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, गौतमबुद्धनगर

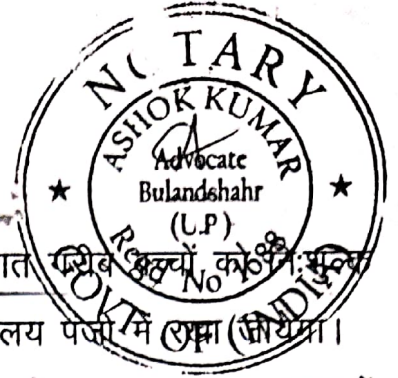
शपथ-पत्र

मैं कि वीरेन्द्र पुत्र श्री कूड़े सिंह, निवासी ग्राम खेरली हाफिजपुर, मण्डी श्यामनगर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर सशपथ निम्न कथन करता हूँ :

1. यह कि मेरा उपरोक्त नाम व पता सत्य है। मैं "पैराडाईज इण्टरनेशनल स्कूल" ग्राम-खेरली हाफिजपुर, मण्डी श्यामनगर, ग्रेटर नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर का प्रबन्धक हूँ। मैंने उपरोक्त विद्यालय को नर्सरी से कक्षा-8 इंगलिश मीडियम की मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आपके समक्ष आवेदन किया है, जिसके संदर्भ में प्रस्तुत शपथ-पत्र में वर्णित सभी तथ्यों से भली-भांति परिचित हूँ।
2. यह कि विद्यालय को मान्यता प्राप्त होने पर अविलम्ब शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति, उनके वेतनादि भुगतान किये जाने का विवरण एवं ई0पी0एफ0 में की जाने वाली कटौती, कक्षावार पंजीकृत छात्रों की संख्या, छात्रों से प्राप्त हुई शुल्क, आय-व्यय विवरण तथा 20 प्रतिशत कटौती का विवरण तथा कुल आय-व्यय का विवरण प्रस्तुत किया जायेगा।



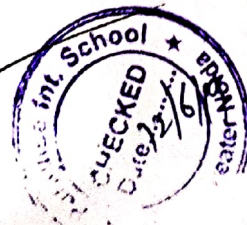
Ashok
Manager
Paradise International School
Sherli Hafizpur, Greater Noida
G.B Nagar

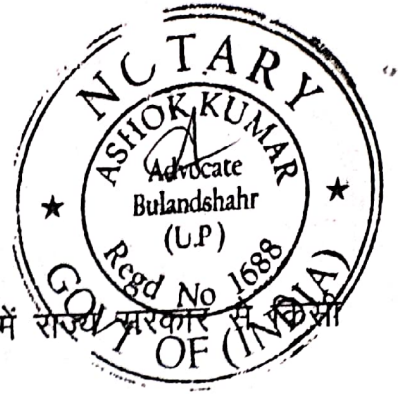


3. यह कि इसके अतिरिक्त विद्यालय में 25 प्रतिशत नि:शुल्क बच्चों को नि:शुल्क शिक्षा प्रदान की जायेगी, जिसका विवरण विद्यालय पत्र में (अनुबन्ध-1) दिया जायेगा।
4. यह कि विद्यालय में मानकों के अनुसार पर्याप्त मात्रा में कक्षा कक्ष, छात्र/छात्राओं व स्टाफ के लिए पृथक-पृथक लेट्रिन/बाथरूम, विद्यार्थियों के लिए बैठने हेतु पर्याप्त मात्रा में डेस्क एवं बेंच तथा शिक्षकों के लिए पर्याप्त मात्रा में फर्नीचर आदि उपलब्ध है।
5. यह कि विद्यालय में अभी किसी छात्र का किसी कक्षा में प्रवेश नहीं किया गया है और न ही किसी प्रकार की कक्षाएं संचालित हैं। मान्यता प्राप्त होने पर ही छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी तथा शासनादेश दिनांक 08-05-2013 में निहित प्राविधानों के अनुसार ही बच्चों से शिक्षण शुल्क प्राप्त किया जायेगा, किसी प्रकार का कोई अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा।
6. यह कि विद्यालय परिसर में प्रस्तावित मान्यता हेतु पर्याप्त संख्या में कक्षा कक्ष निर्मित हैं।
7. यह कि विद्यालय में किसी भी छात्र-छात्रा का प्रवेश न होने के कारण विद्यालय अमान्य श्रेणी में नहीं आता है।
8. यह कि उपरोक्त भवन में इससे पूर्व किसी प्रकार की कोई मान्यता नहीं है।
9. यह कि जिस भूमि/भवन पर विद्यालय के लिए मान्यता हेतु आपके समक्ष आवेदन किया गया है, उस भूमि/भवन पर सी0बी0एस0ई0 (केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड) अथवा किसी अन्य बोर्ड से सम्बद्धता/ मान्यता प्राप्त करने के लिए आवेदन नहीं किया है और न ही सम्बद्धता/मान्यता ली गई है वरन् विद्यालय के लिए उपरोक्त प्रस्तावित भूमि/भवन पर आपके स्तर से प्राप्त मान्यता के अनुसार ही विद्यालय का संचालन किया जायेगा।
- यह कि विद्यालय में नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 (उपबन्ध-1) और नि:शुल्क बाल शिक्षा अधिकार नियम, 2010 (उपबन्ध-2) का



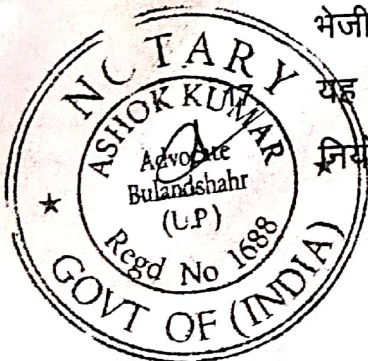
Ashok
Manager
Paradise International School
Kherli Hafizpur, Greater Noida
G.B Nagar





पालन किया जायेगा।

11. यह कि विद्यालय स्व वित्त पोषित होगा, भविष्य में राज्य सरकार से किसी प्रकार के अनुदान की मांग नहीं की जायेगी।
12. यह कि विद्यालय में किसी भी प्रकार का पंजीकरण शुल्क, भवन शुल्क एवं केपिटेशन के रूप में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं किया जायेगा। केवल विभाग द्वारा स्वीकृत शिक्षण शुल्क ही ली जायेगी।
13. यह कि विद्यार्थी को प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक शिक्षा दी जायेगी, उसे किसी भी कक्षा में अनुत्तीर्ण नहीं किया जायेगा और न निष्कासित किया जायेगा और न ही उसका शारीरिक एवं मानसिक उत्पीड़न किया जायेगा तथा प्राथमिक शिक्षा पूर्ण होने तक कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
14. यह कि शिक्षक/कर्मचारियों की नियुक्ति (अध्यापकों की भर्ती एवं सेवा शर्तों) नियमावली, 1978 की प्रक्रिया के अनुसार की जायेगी और विद्यालय भवन एवं क्रीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा एवं कौशल विकास के लिए ही किया जायेगा।
15. यह कि विद्यालय किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जायेगा और न ही विद्यालय में गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएँ संचालित की जायेंगी।
16. यह कि विद्यालय के लेखों की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा सम्परीक्षा कराई जायेगी और प्रत्येक वर्ष लेखा विवरण की एक प्रति जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।



यह कि विद्यालय के अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे और विद्यालय में पाठ्यचर्या के आधार पर सरकारी

Ashok
Manager
Paradise International School
Kirti Hafizpur, Greater Noida
G.B. Nagar





- पाठ्यक्रम पढ़ाया जायेगा। गैर सरकारी पुस्तकों का अध्ययन भी हो सकेगा।
18. यह कि प्रस्तुत सभी अभिलेखों यथा-विद्यालय की पैतृक कंथों/सोसाइटी, भवन सुरक्षा प्रमाण-पत्र, अग्नि सुरक्षा प्रमाण-पत्र, विद्यालय भवन का स्वामित्व/किरायानामा प्रलेख तथा विज्ञान, खेल, शिक्षण सामग्री, साज सज्जा, फर्नीचर आदि के बिल एवं तत्सम्बन्ध में प्रस्तुत अन्य सभी अभिलेखों की विश्वसनीयता एवं वास्तविकता के लिए मैं एवं विद्यालय प्रबन्धन पूर्ण रूपेण उत्तरदायी हूँ। इन अभिलेखों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि पाये जाने अथवा किसी अभिलेख के किसी प्रकार कूट-रचित अथवा फर्जी पाये जाने की दशा में यदि विभाग द्वारा मान्यता निरस्तीकरण की कार्यवाही अथवा अन्य किसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाती है तो मुझे/विद्यालय प्रबन्धन को किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं होगा वरन् हम पूर्ण रूपेण उसके लिए उत्तरदायी होंगे।

मैं सशपथ सत्यापित करता हूँ कि मेरे इस शपथ-पत्र की धारा 1 से 18 का समस्त कथन मेरे निजी ज्ञान एवं विश्वास में सत्य हैं, कोई बात असत्य नहीं है, न ही छिपाई है। ईश्वर साक्षी हैं।

सत्यापन स्थान बुलन्दशहर।

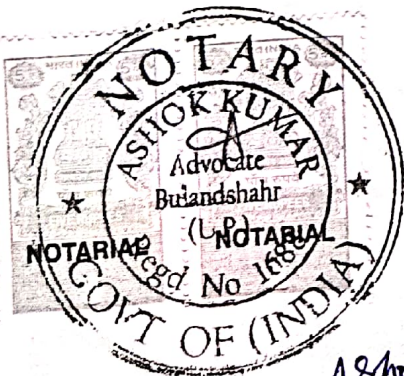
दिनांक 17-06-2019

शपथकर्ता

Manager
Paradise International School
Kherli Hafizpur, Greater Noida
G.B. Nagar

ATTESTED

ASHOK KUMAR
Notary (Public) Bulandshahr



Manager
Paradise International School
Kherli Hafizpur, Greater Noida
G.B. Nagar

